

नोटिस

Town Vending Committee के प्रतिनिधि के चुनाव हेतु नोटिस।

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अनुसार पथ विक्रेता अधिनियम 2014(2014 का केन्द्रीय अधिनियम), हरियाणा पथ विक्रेता (जिविका संरक्षण तथा पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम 2017 के अनुसार नगर विक्रय समिति का गठन किया जाना है जिसमें 8 सदस्यों का चुनाव किया जाना है। पथ विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले एक तिहाई सदस्य महिला विक्रेताओं में से होंगे। पथ विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों तथा अशक्तता वाले व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।

क्र० स०	कार्यक्रम	दिनांक	स्थान	समय
1	नामांकन पत्र भरने हेतु	13.03.2023 से 15.03.2023 तक	नगर निगम, कार्यालय सैक्टर-12ए	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक
2	नामांकन पत्रों की जांच	16.03.2023	नगर निगम, कार्यालय सैक्टर-12ए	दोपहर 11.00 बजे 1.00 बजे तक
3	वैध नामांकन सदस्यों की सूची सूचना पट्ट पर चस्पा करना	16.03.2023	नगर निगम, कार्यालय सैक्टर-12ए	दोपहर 2.00 बजे के बाद
4	नामांकन पत्र की वापिस की तिथि	17.03.2023	नगर निगम, कार्यालय सैक्टर-12ए	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 5.00 बजे तक
5	चुनाव चिन्ह का आबंटन की तिथि	20.03.2023	नगर निगम, कार्यालय सैक्टर-12ए	दोपहर 12.00 बजे के बाद
6	सदस्यों के चुनाव की तिथि (मतदान की तिथि)	12.04.2023	कम्युनिटी सेंटर, सैक्टर-12	प्रातः 10.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक
7	मतगणना / परिणाम घोषित	12.04.2023	कम्युनिटी सेंटर, सैक्टर-12	मतदान के पश्चात

नामांकन पत्र हेतु दस्तावेज अथवा किसी भी जानकारी के लिए किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 10:00 से दोपहर 02:00 तक संबंधित जानकारी के लिए कमरा न० 9 कम्युनिटी सेंटर सैक्टर 12ए में संपर्क कर सकते हैं।

US
22/2/2023
आयुक्त,

नगर निगम पंचकूला।

Per